न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

119

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2099—पीबीआर/2011 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 01—09—2011 के द्वारा न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 65/निगरानी/2010—11

.....

फेरन पुत्र ग्यारसा (मृतक) वारिसानः—

1— गुलाब पुत्र स्व. श्री फेरन

2— चंदन पुत्र स्व. श्री फेरन

3— धनीराम पुत्र स्व. श्री फेरन

निवासीगण—ग्राम तहवरिया, तहसील— सिरोंज

जिला—विदिशा (म0प्र0)

4— नलियाबाई पत्नी श्री दिमान सिंह पुत्री स्व. फेरन सिंह

निवासी—ग्राम परेवा तहसील—अरोन, जिला—गुना (म0प्र)

5— लीलाबाई पत्नी श्री हरदीप पुत्री स्व. फेरन सिंह

निवासी— ग्राम आखेद तहसील मुंगावली, जिला—अशोकनगर (म0प्र)

6— प्रेमबाई पत्नी श्री नारायण पुत्री स्व. फेरन सिंह

निवासी—ग्राम जमाखेड, तहसील— मुंगावली

जिला— अशोकनगर (म0प्र)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— लखन सिंह पुत्र श्री कल्यान सिंह यादव

2— खिलान पुत्र हल्कू

3— शैतान पुत्र गनेशराम

4— हजारी पुत्र गनेशराम

निवासीगण— ग्राम तहवरिया तहसील— सिरोंज

जिला विदिशा (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 15-11-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–09–2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम–तहवरिया स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 39.51/1.65 कुल रकबा 4 है0 का बंटन नायब तहसीलदार मण्डल क्रमांक –4 सिरोंज के प्रकरण क्रमांक 28/अ–19/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2002 द्वारा आवेदकगण को पट्टा प्रदान कर कब्जा दिया गया और पटवारी रिकॉर्ड में भी पट्टे का अमल कर दिया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज के समक्ष अपील पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 23/अपील/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2005 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2005 से व्यथित होकर आवेदकगण ने निगरानी न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 65/निगरानी/2010–11 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 01.09.2011 द्वारा निरस्त किया गया। आयुक्त भोपाल के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बात को नजर अंदाज करते हुये कि आवेदक का नाम फेरन पुत्र ग्यारसा के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है, किन्तु किसी झूठी शिकायत, जिसमें कि फेरन पुत्र डोंमा जो कि अन्य ग्राम का निवासी है के आधार पर आवेदक का प्रकरण निराकृत किया गया । आवेदक को उसकी जाति विशेष के आधार पर पात्रता में सम्मिलित किया गया और प्रारंभिक जांच के उपरांत बंटन आवेदन स्वीकार कर भूमि वितरित की गई, जिसमें कि अनावेदकगण कोई भी

.....

श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 15-11-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–09–2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम–तहवरिया स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 39.51/1.65 कुल रकबा 4 है0 का बंटन नायब तहसीलदार मण्डल क्रमांक –4 सिरोंज के प्रकरण क्रमांक 28/अ–19/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2002 द्वारा आवेदकगण को पट्टा प्रदान कर कब्जा दिया गया और पटवारी रिकॉर्ड में भी पट्टे का अमल कर दिया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज के समक्ष अपील पेश की गई, जो प्रकरण क्रमांक 23/अपील/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2005 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2005 से व्यथित होकर आवेदकगण ने निगरानी न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 65/निगरानी/2010–11 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 01.09.2011 द्वारा निरस्त किया गया। आयुक्त भोपाल के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बात को नजर अंदाज करते हुये कि आवेदक का नाम फेरन पुत्र ग्यारसा के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है, किन्तु किसी झूठी शिकायत, जिसमें कि फेरन पुत्र डोंमा जो कि अन्य ग्राम का निवासी है के आधार पर आवेदक का प्रकरण निराकृत किया गया । आवेदक को उसकी जाति विशेष के आधार पर पात्रता में सम्मिलित किया गया और प्रारंभिक जांच के उपरांत बंटन आवेदन स्वीकार कर भूमि वितरित की गई, जिसमें कि अनावेदकगण कोई भी

हेत नहीं रखते हैं, किन्तु इसके विपरीत उनके आवेदनों को सुनवाई में लिया गया और आवेदक के विरूद्ध आदेश पारित किया गया । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदक को बगैर सुनवाई का समुचित अवसर दिये अभिलेख के विपरीत आदेश पारित किये गये, क्योंकि आवेदक द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण राजस्व अधिकारी के प्रमाणित रिर्पोट प्रस्तुत किये जाने के उपरांत भी प्रकरण बगैर रिर्पोट को विचारण में लिये निराकृत किया गया जो किसी भी तरह से न्यायहित में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अभिलेख के विपरीत जाकर न्यायिक प्रावधानों के प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है, जिसमें आवेदक के तथ्यों पर कोई भी विचार नहीं किया गया और उसकी अनपढ़ स्थित का लाभ अनावेदकगण द्वारा उठाया गया और उसका परिणाम अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में स्पष्ट दिखाई देता है जो प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक फेरन सिंह पुत्र डोंमा, निवासी महुअन तहसील–ईशागढ़, जिला–अशोकनगर हाल तेहवरिया के नाम ग्राम महुअन में भूमि सर्वे क्रमांक 489 रकबा 2.801 है0 भूमि फेरन परता पुत्रगण डोमा के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित है। जिसका प्रमाणीकरण ग्राम महुअन के सरपंच एवं पंचों ने भी किया है जो अभिलेख में संलग्न है । अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम तेहवरिया की भूमि सर्वे क्रमांक 6/1 रकबा 1.228 है0 का जो कि फेरन पुत्र ग्यारसा के नाम भूमि का बंटन किया है। उक्त बंटन तथ्यों को छिपाकर कराया गया, जो उसके नाम अन्य स्थान पर स्वयं के नाम पूर्व से ही भूमिस्वामी स्वत्व पर भूमि होने के कारण अपात्र था और अपात्र व्यक्ति को किया गया बंटन अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसी स्तर पर आयुक्त भोपाल ने आवेदक के आदेश को निरस्त किया है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश 01–09–2011 विधिसंगत है । उसमें हस्तक्षेप करने की

कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल का आदेश स्थिर रखते हुये आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर